न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 13/2022 अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कंवराजसिंह पुत्र शेरसिंह 2. बाबूसिंह पुत्र शेरसिंह 3. मालसिंह पुत्र शेरसिंह 4. हिन्दूसिंह पुत्र शेरसिंह 5. नारायणसिंह पुत्र शेरसिंह 6. जगदीशसिंह पुत्र शेरसिंह 7. ढेलकंवर पत्नी शेरसिंह (वादी संख्या 6 नाबालिग जरिये वली माता वादीनी संख्या 7) जाति राजपुत, निवासी धारवी खुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. शेरसिंह पुत्र रायसिंह जाति राजपुत, निवासी धारवी खुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इण्डिया, शिव 3. इन्द्रकंवर पत्नी नगसिंह 4. उतमसिंह पुत्र नगसिंह 5. उदयसिंह पुत्र भैरसिंह 6. कुन्ताकंवर पत्नी पीथसिंह 7. कैलाशकंवर पुत्री पीथसिंह 8. किशनसिंह पुत्र जवारसिंह 9. खेतसिंह पुत्र पीथसिंह 10. गजेकंवर पत्नी पीथसिंह 11. गणपतसिंह पुत्र गेमरसिंह 12. गीताकंवर पुत्री गेमरसिंह 13. गोपसिंह पुत्र नगसिंह 14. चुतरसिंह पुत्र भैरसिंह 15. चन्दनसिंह पुत्र जवारसिंह 16. चन्द्र कंवर पुत्र प्रभुसिंह 17. चेलसिंह पुत्र सुजानसिंह 18. जुगतसिंह पुत्र पदमसिंह 19. जुगतसिंह पुत्र लाधुसिंह 20. जेठमालसिंह पुत्र हुकमसिंह 21. जेदुसिंह पुत्र पदमसिंह 22. जड़ा कवंर पत्नी हुकमसिंह 23. अभू कंवर पत्नी पीथसिंह 24. आनन्दसिंह पुत्र धनसिंह 25. केंकूदेवी पत्नी चनणसिंह 26. जालमसिंह पुत्र अलससिंह 27. जालमसिंह पुत्र सुजानसिंह 28. झबरसिंह पुत्र अलससिंह 29. ठाकरसिंह पुत्र नगसिंह 30. तणसिंह पुत्र नगसिंह 31. देवीसिंह पुत्र धनसिंह 32. दौलतसिंह पुत्र गेमरसिंह 33. धुड़ी कंवर पत्नी दीपसिंह 34. नखतकंवर पत्नी पदमसिंह 35. निम्बसिंह पुत्र सुजानसिंह 36. पप्पूकंवर पुत्री पीथसिंह 37. प्रेमसिंह पुत्र सुजानसिंह 38. पार्वती कवंर पत्नी सुजानसिंह 39. बाबुसिंह पुत्र अलससिंह 40. मन्दरसिंह पुत्र हुकमसिंह 41. मांगूसिंह पुत्र पीथसिंह 42. मानसिंह पुत्र धनसिंह 43. रूपसिंह पुत्र नगसिंह 44. रामकंवर पुत्री अलससिंह 45. रामसिंह पुत्र लाधुसिंह 46. विजयसिंह पुत्र अलससिंह 47. समधाकंवर पत्नी अलससिंह 48. सांगसिंह पुत्र धनसिंह 49. सालमसिंह पुत्र पीथसिंह 50. हड़वंतसिंह पुत्र धनसिंह 51. हरकंवर पत्नी अलससिंह 52. हिंगलाजसिंह पुत्र दीपसिंह 53. कमलसिंह पुत्र लाधुसिंह 54. गेमरसिंह पुत्र लाधुसिंह 55. नारायणसिंह पुत्र पीथसिंह 56. नारायणसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपुत, निवासी धारवीखुर्द तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री ईश्वरसिंह भाटी।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.07.2023

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 रायसिंह के वारिशान एवं विधिक उत्तराधिकारी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा लखासर, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 319, 321, 324, 480/93 रकबा क्रमशः 1.5621, 0.5908, 2.7923, 12.3429 हैक्टेयर व मौजा सवाईपुर के खेत खसरा नम्बर 287, 472 रकबा क्रमशः 10.6837, 21.9016 हैक्टेयर एवं मौजा स्वरूपनगर के खेत खसरा नम्बर 664/356 रकबा 4.5648 हैक्टेयर तथा मौजा धारवीखुर्द के खसरा नम्बर 368, 381, 391, 412, 688/408, 689/420, 690/420 रकबा क्रमशः 9.6639, 0.0971, 20.2504, 0.2995, 0.4128, 4.8562, 2.6466 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी पूर्व पुरूष रायसिंह के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त हुई। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसमें वादीगण का बराबर हक हिस्सा निहित है। उक्त विवादित आराजी सहदायिकी सम्पति है एवं मौके पर अपने हक हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड की अनुचित प्रविष्टियों का फायदा उठाकर पैतृक सहदायिकी की संपति को अजनबी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

अधिकार नहीं है। वादीगण अपने पैतृक हक हिस्सा की भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाने के विधिक अधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में पुत्र–पौत्र–प्रपौत्र का जन्म से अधिकार होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से वादीगण अपने हिस्से की भूमि का विकास एवं अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते है, इसलिए वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश करते हुए स्वयं के साथ वादीगण को बहिस्सा बराबर का सहखातेदार घोषित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 56 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

वादी संख्या 1 की ओर से बतौर साक्ष्य बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा इएक्सपी 1 से इएक्सपी 10 तक दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां व खतौनी बन्दोबस्त पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा वारिसान का 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा लोकअदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक एवं सहदायिकी भूमि है। पैतृक एवं सहदायिकी भूमि में वादीगण का जन्मतः हक हिस्सा निहित होने से वादपत्र अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तद्नुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदारी घोषणा की जाकर आदेश करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तद्नुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने वाद के तथ्यों पर उभयपक्ष अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 रायसिंह के वारिस (पुत्र–पौत्र) है, जो जाति से राजपुत होने से वक्त मृत्यु हिन्दु विधि से शासित होते थे। अतः उनके हकुक का अंतरण भी हिन्दु विधि के अनुसार ही होगा। खतौनी बंदोबस्त व वर्तमान जमाबंदी तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वारिश शपथ पत्र से भी वादी संख्या 1 से 6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 रायसिंह के वारिश होना साबित है। चूंकि उक्त वाद में वादीगण अधिवक्ता द्वारा पैतृक सहदायिकी संपति में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भी स्वयं के साथ वादी संख्या 1 से 6 को बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः वादग्रस्त आराजी पैतृक एवं सहदायिकी संपति होने से वादीगण का हक हिस्सा जन्म से निहित होने से वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लखासर, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 319, 321, 324, 480/93 रकबा क्रमशः 1.5621, 0.5908, 2.7923, 12.3429 हैक्टेयर व मौजा सवाईपुर के खेत खसरा नम्बर 287, 472 रकबा क्रमशः 10.6837, 21.9016 हैक्टेयर एवं मौजा स्वरूपनगर के खेत खसरा नम्बर 664/356 रकबा 4.5648 हैक्टेयर तथा मौजा धारवीखुर्द के खसरा नम्बर 368, 381, 391, 412, 688/408, 689/420, 690/420 रकबा क्रमशः 9.6639, 0.0971, 20.2504, 0.2995, 0.4128, 4.8562, 2.6466 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 1 से 6 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक की खातेदारी में बहिस्सा बराबर घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner